"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2002—पौष 6, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2997/2230/2002/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) को इस विभाग के आदेश क्रमांक 351/साप्रवि/2001, दिनांक 23-1-2001 द्वारा उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के पद का कार्य सौंपा गया था.

अब श्री बी. एल. अग्रवाल का पदनाम अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 20--

क्रमांक 2288/3122/2002/1-8/स्था.—श्री आर. के. श्रीवास्तव,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 11-12-2002 से 20-12-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव को पुन: अवर सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं ग्रामोद्योग विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री श्रीवास्तव को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीवास्तव यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2989/2527/साप्रवि/2002/1/2.—डॉ. ए. जयतिलक, संयुक्त सचिव, पर्यटन, संचालक, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास बोर्ड, को दिनांक 5-12-2002 से दिनांक 19-12-2002 (15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. डॉ. ए. जयतिलक को अवकाश से लौटने पर, संयुक्त सचिव, पर्यटन, संचालक, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, पर्यटन के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. डॉ. ए. जयतिलक को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2996/2489/साप्रवि/2002/1/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, राज्यपाल के सचिव, को दिनांक 23-12-2002 से 3-1-2003 (12 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर, 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री जवाहर श्रीवास्तव को अवकाश से लौटने पर, राज्यपाल के सचिव के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री जवाहर श्रीवास्तव को वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3002/2371/साप्रवि/2002/1/2/लीव.—श्रीमती ऋचा शर्मा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12-12-2002 से 20-12-2002 तक (9 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 21 एवं 22-12-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्रीमती शर्मा को अवकाश से लौटने पर उप-सचिव के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्रीमती शर्मा को अवकाश काल में वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पद कार्यरत रहतीं.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3004/2537/साप्रवि/2002/1/2.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव (गृह) को दिनांक 16-12-2002 से 20-12-2002 तक (कुल 5 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को अपर मुख्य सचिव, गृह के पद पर अस्थाई रूप से पुनः पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3010/2547/साप्रवि/2002/1/2/आई.ए.एस./लीव.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर, महासमुंद को दिनांक 16-12-2002 से 24-12-2002 (9 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 14, 15 एवं 25-12-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुनः कलेक्टर, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में डॉ. मनिन्दर कौर को वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनिन्दर कौर अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

5. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी की अवकाश अवधि में कलेक्टर धमतरी, श्री बी. एल. ठाकुर, अपने कार्य के साथ-साथ कलेक्टर महासमुन्द का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3016/2472/साप्रवि/2002/1/2.—श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालॉजी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स को इस विभाग के पत्र क्रमांक 1758/2296/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 15-11-2002 द्वारा श्री अग्रवाल को दिनांक 21 नवम्बर, 2002 से 30-11-2002 (10 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 30-11-2002 को शासकीय कार्य से गोवा प्रस्थान किया था, अतः अर्जित अवकाश संशोधन करते हुए श्री अमित अग्रवाल को दिनांक 21 नवम्बर 2002 से 29 नवम्बर 2002 (9 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 15-11-2002 में कालम (2) से (4) तक यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

सूचना-पत्र

क्रमांक 6159/21-अ/प्रा./02/छ. ग.—उपरोक्त विषयक यतः विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर का यह मत है कि पत्र क्रमांक 3759/21-अ/प्रा./2001 में कतिपय लिपिकीय त्रुटियां अन्तर्विष्ट हैं.

पत्र क्रमांक 3759/21-अ/प्रारूपण/2001, दिनांक 1 जून, 2002 "छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "पत्र क्रमांक 3759/21-अ/प्रारूपण/2002", दिनांक 1 जून, 2002 "भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेश" स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

क्र. फा. 8290/2643/21-ब (छ.ग.)./2002.—नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुये जिला कोरबा के तहसील-करतला में नोटरी के पद वृद्धि करती है.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्र. फा. 8498/2720/21-ब (छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आनंद पाण्डेय, अधिवक्ता, बिलासपुर को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से बिलासपुर सत्र खण्ड के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी/8618/2861-21-ब/छ. ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री राजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट में पंचम अतिरिक्त लोक अभियोजक, अंबिकापुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के

दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी-8621/2861-21-ब/छ.ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनोज पाण्डेय, अधिवक्ता, अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट में षष्टम अतिरिक्त लोक अभियोजक, के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक डी-8622/2861-21-ब/छ. ग./2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, मो. सनाउल्लाह अंसारी, अधिवक्ता, रामानुजगंज को फास्ट ट्रेक कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-6/31/राजस्व/2002/5083.—राज्य शासन म. प्र. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पुस्तिका-1995, भाग-1 के सेक्शन-1 के सरल क्रमांक 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को कार्यालय प्रमुख घोषित करता है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधिकार भी प्रदत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 3357/पंग्रावि/02/22.—श्री अनिल टुटेजा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त सहायक परियोजना निदेशक, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (ए.पी.डी., डी.पी.आई.पी.) का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4228/2002/पचपन.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर के फार्मेसी भवन में 100 छात्रों का प्रवेश क्षमता हेतु शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. प्रस्तावित दंत महाविद्यालय में 15 सीटें एन. आर. आई. कोटे की होगी, जिसके लिए फीस रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष होगी. 35 सीटें पेमेन्ट तथा 50 सीटें फ्री होगी, पेमेन्ट तथा फ्री सीटों पर चयन पी.एम.टी. के माध्यम से होगा. पेमेन्ट सीटों पर फीस 75 हजार रुपये प्रति सीट प्रतिवर्ष तथा फ्री सीट पर फीस रुपये 9,200/- प्रति सीट प्रतिवर्ष होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

विषय :—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन-पदों की संरचना.

क्रमांक एफ 5-10/2002/खाद्य/29.—राज्य शासन द्वारा

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों की संरचना स्वीकृत की जाती है :—

क्रमांक (1)	पदों का विवरण (2)	संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	अध्यक्ष	01	26,000/- निश्चित
2.	सदस्य	02	मानदेय 500/- प्रति बैठक एवं 100/- वाहन भत्ता प्रति बैठक.
3.	रजिस्ट्रार सह-प्रशासकीय अधिकारी.	01	10000-325-15200.
4.	निज सहायक	01	5500-175-9000.
5.	अधीक्षक	01	5500-175-9000.
6.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) ग्रेड-3	01	4500-125-7000.
7.	शीघ्रलेखक (हिन्दी) ग्रेड-3	01	4500-125-7000.
8.	सहायक ग्रेड-1	01	4500-125-7000.
9.	सहायक ग्रेड-2 (इनमें से एक पद लेखापाल के लिए होगा).	02	4000-100-6000.
10.	रीडर	01	4000-100-6000.
11.	सहायक ग्रेड-3	04	3050-75-3950-80-4590.
12.	रिकार्ड कीपर	01	3050-75-3950-80-4590.
13.	वाहन चालक	02	3050-75-3950-80-4590.
14.	भृत्य	04	2550-55-2660-60-3200.
15.	दफ्तरी	01	2610-60-3150-65-3540.
16.	स्वीपर	02	2550-55-2660-60-3200.
17.	चौकीदार	01	2550-55-2660-60-3200.

2. यह व्यय मांग संख्या 39 मुख्य शीर्ष-2408-खाद्य भण्डारण और भण्डागारण-01-खाद्य-001 निर्देशन और प्रशासन-629 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ-01 वेतन एवं भत्ते आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति दिनांक 01-12-2002 से 29-02-2003 तक प्रभावशील होगी.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 322/SR/214/B-5/वित्त, दिनांक 12-12-2002 में दिए गए निर्देशों के अनुसार दी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2211/डी. 15/60/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-5-2002 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी आमनदुला के अंतर्गत मंडी के निम्नलिखित स्थान उस पर बने समस्त संरचना "आहाता" खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्—

स्थान :—जांजगीर-चांपा जिले की **मालखरौदा तहसील** में आमनदुला ग्राम के खसरा क्रमांक 275/1 में से 15 एकड़ भूमि का क्षेत्र.

सीमाएं—

(1) उत्तर में— खसरा नं. 168/2 एवं 169/2 श्री रोहित का निजी खेत.

(2) दक्षिण में— खसरा नं. 277/3 पी. डब्ल्यू. डी. सड़क सक्ती मालखरौदा मार्ग.

(3) पूर्व में— ग्राम पौंता की सीमा से लगा.

(4) पश्चिम में— खसरा नं. 275 की शेष शासकीय भूमि.

Raipur, the 10th December 2002

No. 2211/D. 15/60/2002/14-3.—In exercise of the Powers conferred by clause (a) Sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government hereby declare that following place including all structure, enclosures open place or locality in the market area for which Amandula market has been established by this Department notification even dated 17-5-2002 shall be market yard namely—

Place— An area of 15.00 Acare land of khasara No. 275/1 at village Amandula in Tahsil Malkharoda at Janjgir-Champa district.

Bounded by—

(1) On the North by— Private Agriculture land of Shri Rohit of khasara No. 168/2 and khasara No. 169/2.

(2) On the South by— Khasara No. 277/3 PWD Road Sakti-Malkharoda road.

(3) On the East by— Attached Boundary of Village Pouta.

(4) On the West by— Balance Govt. land of Khasara No. 275.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2235/डी./3/8/2002/14-3.—भारत शासन से प्राप्त केन्द्र पोषित योजना "On farm water management for increasing Crop Production in Eastern India" की प्रशासकीय स्वीकृति CPS 2-1/199 CU-V. दिनांक 19 मार्च, 2002 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्र पोषित योजना "ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट" के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों की मानिटरिंग हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय मानिटरिंग कमेटी गठित करता है.

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2.	सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
3.	महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर.	सदस्य
4.	राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजक	सदस्य
5.	महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय अपेक्स को-आपरेटिव्ह बैंक, रायपुर.	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, राज्य ग्रामीण कृषि विकास बैंक.	सदस्य
7.	भारत शासन के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	संचालक कृषि	सदस्य/सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-1-स.क.वि.-26-2002-2003/1484.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचित नियम के नियम 24 में बालक कल्याण समिति के प्रावधान के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नीचे दर्शाए अनुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की समिति गठित करता है :—

1. जिला दुर्ग	1. सुश्री उमा ठाकुर	अध्यक्ष
	2. डॉ. पुकेश्वर सिंह भारतीय	सदस्य
	3. श्री चंद्रिका प्रसाद देशमुख	सदस्य
	4. श्री तुलसीराम मरकाम	सदस्य
	5. श्रीमती सुशीला उमरे	सदस्य

2. जिला रायगढ़	1. डॉ. काकोलो पटनायक	अध्यक्ष
	2. श्री पांडूलाल राठौर	सदस्य
	3. श्रीमती ज्योति विश्वास	सदस्य
	4. श्री राजकुमार गुप्ता	सदस्य
	5. श्री लोकेनाथ नंदे	सदस्य
3. जिला बस्तर	1. श्री डेनियल जेकब	अध्यक्ष
	2. श्रीमती शशीकला	सदस्य
	3. श्रीमती पार्वती कश्यप	सदस्य
	4. श्री उमेशचंद्र पाणीग्रहे	सदस्य
	5. श्री रामशंकर साव	सदस्य
4. जिला रायपुर	1. श्री परमेश्वर यदु	अध्यक्ष
	2. श्री रत्नलाल टिकरिहा	सदस्य
	3. श्री सूरज मिश्रा	सदस्य
	4. श्रीमती मानबाई टंडन	सदस्य
	5. श्री श्याम कुमार बांदे	सदस्य
5. जिला राजनांदगांव	1. डॉ. पुखराज बाफना	अध्यक्ष
	2. डॉ. गणेश खरे	सदस्य
	3. डॉ. सुरुचि मिश्रा	सदस्य
	4. श्री शरद कोठारी	सदस्य
	5. श्री हेमंत तिवारी	सदस्य
6. जिला बिलासपुर.	1. डॉ. एच. एल. मेहता	अध्यक्ष
	2. कुमारी अल्का शर्मा	सदस्य
	3. श्रीमती गायत्री कश्यप	सदस्य
	4. श्रीमती बुन्दकुंवर	सदस्य
	5. श्री भुवनेश्वर यादव	सदस्य

बालक कल्याण समिति की काल अवधि अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की होगी और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति बालक कल्याण समिति की काल अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी. समिति का सदस्य रहते हुए सदस्य अधिकतम दो काल अवधियों के लिए ही नियुक्ति का पात्र होगा.

यह समिति सप्रेक्षण गृह के परिसर में अपनी बैठकें करेगी. सदस्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप से लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी समय पद त्याग सकेगा या उसे पद से हटाया जा सकेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 713/आउशि/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द छत्तीसगढ़ स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (जिसकी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990.
2.	मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1974.

(1)	(2)
3.	मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1977.
4.	मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा) आकस्मिता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1978.
5.	मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (संस्कृत महाविद्यालय-उच्च शिक्षा, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) भर्ती नियम, 1989.
6.	मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अध्यापनेत्तर भर्ती नियम, 1991.
7.	मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम, 1997.

Raipur the 30th October 2002

No. 713/C.H.E./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the adaptation of Laws Order, 2001.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately be fore the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisagrh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words " Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Education Service (Collegiate branch) Recruitment Rules, 1990.
2.	Madhya Pradesh Education Service Class III (Collegiate branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974.
3.	Madhya Pradesh Education Service Class IV (Collegiate branch (Recruitment and Promotion Rules, 1977.
4.	Madhya Pradesh Education Service (Collegiate branch) Recruitment and Promotion rules, 1978, drawing Salary from Contingency.
5.	Madhya Pradesh Education Service (Collegiate branch) (Non-Gazetted Class III) Sanskrit Education Recruitment Rules, 1989.
6.	Madhya Pradesh Education Service (Collegiate branch) Non Teaching Recruitment Rules, 1991.
7.	Madhya Pradesh Adhoc Appointment and Regularisation Rules, 1997.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ-7-2-2002-12.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

   (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनि रियायत नियमावली 1960 के अंतर्गत भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा 31 अक्टूबर, 2000 की स्थिति में जारी अधिसूचना आदि.
2.	मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (राजपत्र दिनांक 23-3-1996) यथासंशोधित 31 अक्टूबर, 2000 की स्थिति में.
3.	मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म (सेवा श्रेणी-1 तथा 2) भरती नियम, 1965 (राजपत्र दिनांक 3-6-1966) यथा-संशोधित.
4.	मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवाओं में भरती नियम, 1965 (राजपत्र दिनांक 20-5-1966).
5.	मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म, संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1998 (राजपत्र दि. 11-6-1999).
6.	मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 (राजपत्र दिनांक 13-1-1978).
7.	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के अधिकारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन, 1963 यथा-संशोधित.
8.	भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय, म. प्र. अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं से संबंधित नियम, 1969 (राजपत्र दिनांक 9-5-1969) यथासंशोधित.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 नवंबर 2002

रा.प्र.क्र. 14/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	रविन्द्रनगर	0.210	उप-मुख्य अभियंता निर्माण 2 दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर.	अम्बिकापुर से विश्रामपुर रेल लाईन के विस्तार हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण.
		तेलईकछार	0.140		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय मे देखा जा सकता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कांटाहरदी प. ह. नं. 7	3.635	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	बरदापुरी शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय मे देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 5 नवम्बर 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1868/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नही होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	कांकेर	कोकानपुर	4.141	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	उ. सि. या. अंतर्गत नहर नाली, पाईप लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कांकेर के कार्यालय मे देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बालपेट, प. ह. नं. 13 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
738	0.10

(1)	(2)
745	0.20
747	0.15
748	0.17
749	0.20
योग	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दन्तेवाड़ा, व्यप. यो. हेतु नहर/नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गुमड़ा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
890	0.17
894	0.20
918	0.10
1194	0.34
1204	0.11
895	0.08
914	0.02
1197	0.07
898	0.04
919	0.31
920	0.14
1193	0.07
1208	0.07
1206	0.15
1209	0.10
913	0.02
योग	1.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दन्तेवाड़ा, व्यप. यो. हेतु नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-पापनपाल, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
606/3	2.024
76, 77	0.362

(1)	(2)
78	3.481
79	0.429
602	0.842
603/2	0.979
603/3	2.024
604, 605	4.165
606/2, 610/2	2.024
607/3	0.971
614, 621, 623	2.623
622	0.599
625/1	1.214
525/2	0.263
626	2.542
628/1	1.214
607/2	0.809
609/2	2.024
626/3	2.024
योग	30.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पापनपाल तालाब निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन आधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-बैदरगुड़ा, प. ह. नं. 18 (अ)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.840 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
623	0.012
624	0.113
626	0.918
628	1.659
629	0.348
625	0.196
634	1.473
1152	0.121
योग	4.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैदरगुड़ा तालाब निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी. बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /23/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-बैदरगुड़ा, प. ह. नं. 18 (अ)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.970 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
624	0.028

(1)	(2)
602/3	0.206
604, 605	0.040
608/3	0.404
609/1	0.157
584	0.336
664	0.068
663	0.153
666	0.182
667	0.202
690	0.093
693	0.101
योग	1.970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैदरगुड़ा तालाब में नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक /24/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-चेरपल्ली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
38	0.18
39	0.18
41	0.42
42/2, 42/3	0.18
43/2क	0.21
43/2ख	0.09
44/8छ	0.03
44/8 ड	0.04
51/16	0.10
125/2	0.34
126	0.01
127	0.21
163	0.62
131	0.01
129/2	0.14
157/2	0.51
159/6	0.62
159/5	0.35
168/10, 168/25	0.02
168/12	0.05
168/13 क	0.09
168/13 ख	0.04
168/16	0.31
168/17 क	0.06
168/17 ख	0.04
168/22, 169/3	0.09
168/23	0.04
169/1	0.03
169/2	0.16
169/4	0.03
169/5	0.04
योग	5.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक /29/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-मददेड़, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.556 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72, 74/1	0.024
75/1 ख	0.012
75/3	0.004
85/1, 86	0.005
85/2	0.004
87	0.012
88/1, 89/1	0.004
163, 164	0.013
88/, 89/1	0.004
88/2, 89/2	0.008
90/3	0.008
91	0.004
92/2	0.012
91/1, 93/1 क	0.008
91/1, 93/2 ख	0.008
94/1 ग	0.004
94/1 क/1	0.004
94/1 क/2	0.004
94/1 क/3	0.004
94/1 ख	0.008
94/1 ग	0.008
178, 179	0.008
174	0.008
177/1	0.004
181/1	0.008
189	0.012
188	0.008
191, 192, 318/4	0.004
191, 192, 318/2	0.004
198	0.012
360	0.008
94/3 ड/1क	0.004
94/3 ड/1 ख	0.004
94/3 घ	0.012
97/2	0.004
98/4	0.004
98/2	0.008
98/3	0.004
100/3	0.004
100/2, 101/2	0.004
150/2	0.004
150/1	0.008
151/3	0.004
155/1	0.008
159	0.012
160	0.012
161/1	0.008
165	0.012
167/1, 167/2	0.012
168	
172/1	0.004
172/2	0.008
172/3	0.004
173	0.004
176	0.008
184/1	0.008
182/1	0.008
187	0.024
190	0.016
191, 192, 318/3	0.012
197	0.008
202/1	0.008
369/7, 369/12	0.024
371/2	

(1)	(2)
369/11	0.012
369/13	0.012
369/14 ख	0.012
योग	0.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 26 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-जजगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.661 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1818/1	0.049
1698/2	0.061
1702/2	0.012
1705	0.004
1710	0.032
1713	0.024
1787	0.004
1701/6	0.008
1701/7	0.004
1698/3	0.061
1786/2	0.032
1708	0.028
1711/2	0.024
1811	0.004
1817/2	0.045
1701/8	0.008
1702/1	0.016
1703	0.020
1782	0.045
1714/3	0.012
1812	0.016
1813	0.032
1701/9	0.020
1786/1	0.032
1704	0.012
1709	0.024
1714/3	0.012
1812/2	0.016
1814/1	0.004
योग	0.661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नरकालो जलाशय के जजगा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 64/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-परपोडी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
231	0.02
251	0.05
258/2	0.02
250	0.02
256	0.01
258/3	0.04
249	0.02
257	0.06
259	0.09
योग	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभाठा माइनर नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 63/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभाठा, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
211	0.10
209/3	0.09
199/1	0.10
196/2	0.02
341	0.06
342	0.05
95/2	0.03
210	0.03
204	0.14
199/2	0.04
335	0.05
338	0.03
104	0.16
205	0.10
213/1	0.04
203	0.01
196/1	0.05
337	0.10
344/3	0.02
96	0.11
योग	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभाठा माइनर नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 65/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रीखुर्द, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
745	0.05
752	0.01
754/1	0.05
760	0.20
773	0.16
743/4	0.05
753	0.08
755/2	0.07
771	0.03
804	0.05
743/5	0.02
754/2	0.01
755/3	0.01
772/1	0.01
806	0.14
योग	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय के दार्यीतट नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 66/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्रीखुर्द, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
145/3	0.12
148	0.02
154	0.02
146	0.13
152/7	0.10
157/1	0.34
147	0.14
152/6	0.14
156/1	0.05
योग	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चारभाठा जलाशय के वेस्ट वियर में अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 दिसम्बर 2002

क्रमांक 67/प्र. 1/2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-रांका, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
848	0.01
850	0.09
925	0.04
924	0.09
918	0.03
931	0.24
919	0.03
1444	0.07
1457	0.02
1491	0.19
985	0.09
37	0.04
39	0.03
645	0.03
649	0.03
641	0.05
601	0.03
576	0.03
574	0.05
849	0.03
949	0.10
854	0.11
862	0.32
1352	0.02
921	0.03
1442	0.02
1447	0.02
1458	0.02
1446	0.01
51	0.18
38	0.11
48	0.02
636	0.08
650	0.04
579/1	0.03
598	0.02
575	0.04
572	0.08
851	0.03
939	0.11
947	0.23
923	0.04
940	0.06
920	0.02
1443	0.01
1445	0.16
1480/1	0.22
1037	0.23
45	0.03
40	0.01
1348	0.02
646	0.03
642	0.01
635	0.05
599	0.04
573	0.02
579/2	0.04
योग	3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्तसचिव.